प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 389 / 2022

अनवान : –

1. सुशील कुमार पुत्र मुख्त्यारसिंह जाति खाती निवासी असरजाना तहसील नोहर।

– वादी

1. मुख्तयार सिंह पुत्र सुरजाराम जाति खाती निवासी असरजाना तहसील नोहर।
2. पवन कुमार पुत्र मुखत्यारसिंह जाति खाती निवासी असरजाना तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।
4. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा, अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांक: 25.05.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता स0 71 / 65 की कुल 3.4150 हैक्ट मुश्तरका खाता की भूमि में सें 1 / 12 हिस्सा भूमि व खाता स0 33 / 31 की कुल 7.3230 हैक्ट भूमि में से 559 / 14646 हिस्सा व खाता स0 148 / 148 की कुल 6.4880 हैक्ट भूमि में से 1 / 3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है। वादी के पिता के नाम दर्ज भूमि में वादी एवं प्रतिवादी स0 2 का हक हिस्सा है। रोही मौजा असरजाना के खाता स0 71 / 65, 33 / 31, 148 / 148 उपरोक्त तीनों खातों में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज भूमि में वादी एव प्रतिवादी स0 1 का प्रतिवादी स0 1 के साथ बहिब का हक हिस्सा है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

प्रतिवादी स0 1 समस्त भूमि अपने नाम दर्ज होने का फायदा उठाते हुए उक्त वाद भूमि को रहन, बैय करना चाहत है यदि प्रतिवादी स0 1 अपनी योजना में कामयाब हो जाता है तो वादी का अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए प्रतिवादी स0 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करवा पाने का अधिकारी है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:27:06 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने प्रतिवादी स0 1 [illegible] हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल [illegible]कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा जिस पर दो गवाहन ओमप्रकाश व जिले सिंह के हस्ताक्षर है पेश किया कि रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता स0 71/65 की कुल 3.4150 हैक्ट मुश्तरका खाता की भूमि में सें 1/12 हिस्सा भूमि व खाता स0 33/31 की कुल 7.3230 हैक्ट भूमि में से 559/14646 हिस्सा व खाता स0 148/148 की कुल 6.4880 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि तथा खाता स0 339/239 की कुल 2.1505 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उपरोक्त भूमि बाबत वादी एवं प्रतिवादीगण ने समझौता किया है जिसके अनुसार रोही मौजा असरजाना के खाता स0 33/31 की कुल 7.3230 हैक्ट मे से 559/14646 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी स0 2 के नाम दर्ज की जावें व खाता स0 71/65 की कुल 3.4150 हैक्ट भूमि में 1/12 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी के नाम दर्ज की जावे व खाता स0 148/148 की कुल 6.4880 हैक्ट भूमि मे से 1/3 हिस्सा में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर 1.3503 हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज की जावें एवं शेष भूमि प्रतिवादी स0 2 के नाम दर्ज करवाने के लिए सहमत है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अपने अपने दर्ज करवा सकेंगे तथा उक्तानुसार ही वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है तो सभी सहमत है किसी को कोई एतराज नही है। यह समझौता होश हवास मे रहकर स्वस्थ चित से बिना किसी दवाब बहकाव के तहरीर करवा दिया है।

प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण आपसी राजीनामा/समझौता प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश करे अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादी स0 2 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्सा अनुसार अपने हकों की घोषणा करवाना चाहता है। वादी एवं प्रतिवादी स0 1 व 2 द्वारा राजीनामा/पारिवारिक समझौता पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता स0 71/65 की कुल 3.4150 हैक्ट मुश्तरका खाता की भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि व खाता स0 33/31 की कुल 7.3230 हैक्ट भूमि में से 559/14646 हिस्सा व खाता स0 148/148 की कुल 6.4880

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:27:06 IST
Reason: SelfAttested

खण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 द्वारा राजीनामा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तो हम वादी एवं प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी, वादी एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता स0 71/65 की कुल 3.4150 हैक्ट मुश्तरका खाता की भूमि में सें 1/12 हिस्सा भूमि व खाता स0 33/31 की कुल 7.3230 हैक्ट भूमि में से 559/14646 हिस्सा व खाता स0 148/148 की कुल 6.4880 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, तीनों खातों की भूमि में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के खाता स0 33/31 की कुल 7.3230 हैक्ट भूमि में से 559/14646 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व खाता स0 71/65 की कुल 3.4150 हैक्ट भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं खाता स0 148/148 की कुल 6.4880 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि में से 1.5303 हैक्ट भूमि का का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं शेष भूमि का प्रतिवादी स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली नम्बर में कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 25/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–ननाऊ

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:27:06 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 389/2022

अनवान : –

1. सुशील कुमार पुत्र मुख्त्यारसिंह जाति खाती निवासी असरजाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम

1. मुख्तयार सिंह पुत्र सुरजाराम जाति खाती निवासी असरजाना तहसील नोहर।
2. पवन कुमार पुत्र मुखत्यारसिंह जाति खाती निवासी असरजाना तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।
4. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 389 सन 2022 निर्णय दिनांक 25.05.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी, वादी एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता स0 71/65 की कुल 3.4150 हैक्ट मुश्तरका खाता की भूमि में सें 1/12 हिस्सा भूमि व खाता स0 33/31 की कुल 7.3230 हैक्ट भूमि में से 559/14646 हिस्सा व खाता स0 148/148 की कुल 6.4880 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, तीनों खातों की भूमि में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के खाता स0 33/31 की कुल 7.3230 हैक्ट भूमि में से 559/14646 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व खाता स0 71/65 की कुल 3.4150 हैक्ट भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं खाता स0 148/148 की कुल 6.4880 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि में से 1.5303 हैक्ट भूमि का का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं शेष भूमि का प्रतिवादी स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:27:06 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–ननाऊ